

⑤ हिजामा (पछना) के द्वारा रक्त निकलवाना, किंतु यदि थोड़ा सा खून जाँच इत्यादि के लिए निकलवाया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा।
⑥ जानबूझकर उलटी करना। ⑦ हैज़ अथवा निफास का खून निकलना।

रोज़ा में मुस्तहब (प्रिय, उचित) कार्य

① सेहरी खाना। ② सेहरी खाने में देर करना। ③ इफ़्तार करने में जल्दी करना। ④ रुतब (डम्हा खजूर) से इफ़्तार करना, यदि यह मयस्सर न हो तो (पका) खजूर से, यदि यह भी न हो पानी के कुछ घोंट से और यदि कुछ भी न हो तो दिल में इफ़्तार की नीयत करले। ⑤ इफ़्तार के समय तथा रोज़े की हालत में दुआ करना। ⑥ अधिकाधिक सदका व ख़ैरात (दान-पुण्य) करना। ⑦ रात्री की नमाज़ (तरावीह) पढ़ने का प्रयास करना। ⑧ कुरान की तिलावत (पाठ) करना। ⑨ उमरा करना। ⑩ यदि कोई उसको गाली दे तो पलट कर गाली देने के स्थान पर कहना कि: मैं रोज़ेदार हूँ। ⑪ लैलतुल क़द्र (क़द्र -मान- वाली रात्री) को खोजना। ⑫ अंतिम दहाई (दस दिनों) में ऐतकाफ़ करना।

रोज़ा में मकरूह तथा जायज़ कार्य

① कुल्ली करने तथा नाक में पानी डालने में मुबालागा (अतिशयोक्ति) करना। ② बिना किसी आवश्यकता के खाना चखना।
रोज़ेदार के लिए थूक निगलना, आवश्यकता के समय खाना चखना, स्नान करना, मिस्वाक करना, इत्र लगाना तथा ठंडक हासिल करना जायज़ है।

रोज़ा में ह़राम (निषिद्ध) कार्य

① कफ़ निगलना रोज़ेदार के लिए ह़राम है, किंतु इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
② जिसका स्वयं पर नियंत्रण न हो उसके लिए पत्नी का चुम्बन लेना।
③ ज़ूर बोलना (यह प्रत्येक ह़राम कार्य करने को कहते हैं)। ④ जिहालत भरे कार्य करना (अर्थात् बेवकूफी करना, तथा संयम से काम न लेना)।
⑤ मुसलसल रोज़े रखना (अर्थात् दो दिन तक लगातार बिना इफ़्तार किए रोज़ा रखना)।

नफ़ल रोज़ा

① जिसने रमज़ान के रोज़े रखे हों उसका शव्वाल के छः रोज़े रखना,

रोज़ा के समय रोग

इसके दो प्रकार हैं ① ऐसा रोग जिसके ठीक होने की आशा न हो, अत्याधिक वृद्ध व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आएगा, उसके लिए रोज़ा रखना वाजिब नहीं है किंतु प्रत्येक दिन के बदले एक फ़कीर को खाना खिलाएगा, या तो दिन की गिनती अनुसार मिस्कीन को इकठ्ठा करके उनको दिन का या रात का खाना दे, या प्रत्येक दिन एक मिस्कीन को खाना बाँटे, हरेक मिस्कीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साअ के अनुसार एक चौथाई साअ (यदि अच्छी क्रिस्म का गोहूँ हो तो इसका वज़न लगभग आधा किलो दस ग्राम होता है) दे, और बेहतर है कि इसके संग कुछ ऐसी चीज़ भी दे जिसा उपभोग बतौर सालन होता है जैसे मांस या तेल इत्यादि। ② ऐसा रोग जिसके ठीक होने की आशा हो और उस समय उसके लिए रोज़ा रखना कठिन हो, इस में हैज़, निफास तथा दुग्धपान कराने वाली महिला एवं यात्री शामिल हैं, ये लोग ठीक हो जाने के पश्चात छोड़े हुए दिन के अनुसार रोज़ा रखेंगे और यदि उससे पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनसे रोज़ा माफ़ हो जाएगा।

रमज़ान का महीना कैसे साबित होगा?

यह प्रमाणित होगा: ① चाँद देख कर। ② या शाअबान मास के तीस दिन पूर्ण होने पर।

रोज़ा को ख़राब व फासिद करने वाली चीज़ें

(इसमें अज़ानी तथा भूलवश इसको करने वाले शामिल नहीं हैं) ① जानबूझकर खाने अथवा पीने वाला, जो भूलवश ऐसा करे उसका रोज़ा सही है। ② संभोग करना, यदि ऐसा रमज़ान मास के दिन में किया हो और रोज़ा रखना उस पर वाजिब था तो उसपर मुगल्लज़ा कफ़ारा वाजिब है, जो इस प्रकार है: एक गुलाम आज़ाद करना, यदि इसकी शक्ति न हो तो दो महीने के लगातार रोज़े रखना, यदि इसमें भी असमर्थ हो तो साठ फ़कीर को खाना खिलाना। ③ अंतरंगता, चुम्बन अथवा आलिंगन इत्यादि के द्वारा वीर्य स्खलन। ④ ऐसी वस्तु का उपयोग जो खाने पीने के समान हो, जैसे स्वास्थ्यवर्धक सूई लगवाना, किंतु सूई यदि स्वास्थ्यवर्धक न हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल-स्याम (रोज़ा) अरबी में इसका शाब्दिक अर्थ है: किसी चीज़ से रुक जाना। और शरीअत के अनुसार: प्रातः काल से लेकर सूर्यास्त तक अल्लाह के लिए रोज़ा की नीयत से उसको तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना।

रोज़ा के अरकान: (स्तंभ)

① नीयत, ② रोज़ा को तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना।

रोज़ा में नीयत के प्रकार:

फ़र्ज़ की नीयत: ① फ़र्ज़ रोज़ा की नीयत रात्रि ही में अर्थात् फज़्र से पूर्व कर लेना आवश्यक है, यदि कोई महीना के आरंभ में ही समस्त रमज़ान मास का रोज़ा रखने की नीयत कर ले तो यह भी काफी होगा, नीयत का स्थान हृदय है अतः जुबान से बोल कर इसकी नीयत करना बिदअत है। ② नफ़ल रोज़ा की नीयत: दिन के किसी भी भाग में इसकी नीयत कर लेना सही है यदि उस समय तक रोज़ा तोड़ने वाला कोई कार्य नहीं किया हो तो, अलबत्ता नीयत के समय के बाद से उसको अज़्र मिलेगा।

रोज़ा के प्रकार:

① वाजिब (रमज़ान, कफ़ारा और नज़्र -मन्नत- का रोज़ा) ② नफ़ल।

रमज़ान का रोज़ा वाजिब होने की शर्तें

① इस्लाम। ② अक़ल (चेतना)। ③ व्यस्क होना (बालक जब समझदार हो जाए तो उसको रोज़ा रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा एवं उसके अभिभावक उसे रोज़ा रखने का आदेश देंगे)। ④ वतन में होना (यात्री पर रोज़ा वाजिब नहीं है, किंतु यदि उसे कष्ट न हो तो रोज़ा रखना ही बेहतर है -क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है, तथा इसमें अपनी ज़िम्मेवारी से भी अतिशीघ्र फारिग हो जाना है, मुकल्लफ़ (उत्तरदायी) के लिए यह सहज भी है, तथा रमज़ान मास में रोज़ा रखने की फज़ीलत भी उसे प्राप्त हो जाती है-)।
⑤ स्वस्थ होना। ⑥ हैज़ (मासिक धर्म) तथा निफास (प्रसवोत्तर) से पाक होना।

